कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांक:आर–28/जे0डी0/लखनऊ–14(गा0बाद) | 11 दिनांक: 2-4-2014,

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: **मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0–2243,2244,2247 एवं 2375 ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निमार्ण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा के लिए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 18–03–2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं उपनिदेशक फा0स0 मेरठ द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना:– कुल प्लाट एरिया–77,651.00 वर्ग मी0 है।

2–नेट प्लाट एरिया–52,037.100 वर्ग मी0।

3–प्रस्तावित, भूतल कवर्ड एरिया–11862.520 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम ब्लाक/टावर	तलो की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	स्टेयर की संख्या व चौडाई	ऊँचाई मी0 मे।
1	टावर–ए	स्टिल्ट/भूतल, एव 10 तल	526.946	5227.559	2–1.55/1.55	32.81
2	टावर–बी	स्टिल्ट/भूतल, एव 11 तल	525.258	6046.591	2–1.55/1.55	35.77
3	टावर–सी	स्टिल्ट/भूतल, एव 14 तल	1667.905	23519.406	3–1.55/1.50	44.65
4	टावर–डी	स्टिल्ट एव 14 तल	600.308	7397.103	2–1.55/1.55	44.65
5	टावर–ई0	स्टिल्ट एव 14 तल	598.620	7393.727	2–1.55/1.55	44.65
6	टावर–एफ	स्टिल्ट एव 14 तल	2441.846	29554.488	4–1.55 प्रत्येक	44.65
7	टावर–[illegible]	स्टिल्ट एव 14 तल	598.620	7393.727	2–1.55/1.55	44.65
8	टावर–एच	स्टिल्ट एव 14 तल	603.158	7402.803	2–1.55/1.55	44.65
9	टावर–जे	स्टिल्ट एव 14 तल	600.308	7397.103	2–1.55/1.55	44.65
10	टावर–के	स्टिल्ट/भूतल, एव 14 तल	308.554	29318.094	4–1.55 प्रत्येक	44.65
11	टावर–एल	स्टिल्ट, एव 14 तल	600.308	7397.103	2–1.55/1.55	44.65
12	टावर–एम	स्टिल्ट, एव 14 तल	603.158	7402.803	2–1.55/1.55	44.65
13	टावर–एन	स्टिल्ट, एव 14 तल	598.620	7393.727	2–1.55/1.55	44.65
14	एलआईजी	भूतल, एव 12 तल	917.103	11,755.927	2–1.55/1.55	38.88
15	ईडब्लूएस	भूतल, एव 12 तल	653.764	8326.062	2–1.55/1.55	38.88
16	कन्वीनिएन्ट शाप	भूतल, एव 02तल	234.181	681.117	1–1.50	12.45

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1– पहुच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 45 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन से प्रवेश द्वार की चौडाई–10.50 मी0 है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–13.25 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–13.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–12.15 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–13.40 मी0 प्रस्तावित है।

ई0–एल0आईजी0 एवं ई0डब्लू0एस0 कार्नर मे प्रस्तावित है जिसके चारो ओर 13.00 मीटर सैटबेक उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक प्रस्तावित है जो फायर सर्विस वाहनो हेतु पर्याप्त है, तथा भवन हेतु ऊँचाई के सापेक्ष वॉच्छनीय सैटबेक व ब्लाको के मध्य दूरी के सम्बन्ध मे निर्णय प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित है, जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन मे स्टेयर उपरोक्त तालिका के अनुसार है जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4– रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगतः– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु न्यूनतम 75,000 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः– भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का एक अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः प्रश्नगत भवन/ ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000, हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–होजरीलः– प्रश्नगत भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराईजरः– प्रश्नगत भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– प्रश्नगत भवन के शापिंग एवं स्टिल्ट एरिया मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–समस्त भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के वॉच्छनीय है।

9–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त तलो पर एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व

7/4

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ

सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0–2243, 2244, 2247 एवं 2375 ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद मे प्रश्नगत भवन निमार्ण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फा0स0 मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्रा0 लि0 द्वारा खसरा न0–2243,2244,2247 एवं 2375 ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।